न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रणजीत .... बनाम .... सुमन

C.A. .... मु.नं. .... 73 .... वर्ष 2020

दिनांक	आज्ञा पत्र
	पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। पूर्व पेशी पर बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई। बहस मुताबिक आक्षेप व प्रस्तुत आवेदन के रही। अधिवक्ता आपत्ति आवेदनकर्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थिया को ना तो मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय कोई नोटिस दिया गया था, न ही विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थिया के सही पर हस्ताक्षर हैं। विभाजन प्रस्ताव आपत्ति आवेदनकर्ता की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है जो कि पुन: मंगवाया जाना उचित है। अधि. वादी द्वारा कथन आपत्ति आवेदनकर्ता मूल खातेदार नहीं है, वादीगण / प्रतिवादी द्वारा उस भूमि का क्रय आपत्ति आवेदनकर्ता द्वारा किया गया है। खातेदार क्रय की गई भूमि से ज्यादा भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अत: आपत्ति आवेदन को खारिज किया जावे।
	बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा भूमि का क्रय वादी तथा प्रतिवादी नं. 2 से क्रय किया गया है तथा विक्रयकर्ता के फुट-स्टेप पर ही होता आया है। प्रतिवादी नं. 2 के अलावा समस्त पक्षकारों के भी विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारों को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सूचना दी गई है व विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से अनुसार भूमि का अंकन किया गया है पुन: विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: प्रतिवादी नं. 1 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन को खारिज

पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। पूर्व
पेशी पर बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई।
बहस मुताबिक अधिवक्ता व प्रस्तुत आवेदन के
वही। अधिवक्ता आपत्ति आवेदनकर्ता द्वारा कथन
किया गया कि प्रार्थीया को नीलो मौके पर
विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नोटिस
नहीं दिया गया तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव पर
प्रार्थीया के कहीं पर हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव
आपत्ति आवेदनकर्ता की अनुपस्थिति में तैयार
किया गया है जो कि पुन: मंगवाया जाना उचित है।
अधि. गैर द्वारा कथन आपत्ति आवेदनकर्ता
खातेदार नहीं है, वादीया/प्रतिवादी द्वारा
२ से भूमि का क्रय आपत्ति आवेदनकर्ता द्वारा
किया गया है। खातेदार क्रय की गई भूमि से ज्यादा
भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः आपत्ति
आवेदन को खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि का
क्रय बाद तथा प्रतिवादी सं. 2 से क्रय किया गया है
तथा विक्रयकर्ता के फुट-स्टेप पर ही रहता आया है।
प्रतिवादी सं. 2 के अलावा समस्त पक्षकारों
के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं जिससे
स्पष्ट है कि पक्षकारों को विभाजन प्रस्ताव तैयार
करते समय सूचना दी गई है व विभाजन प्रस्ताव
में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से अनुसार भूमि का अंकन
किया गया है पुन: विभाजन प्रस्ताव मंगवाने
का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रतिवादी सं. 1
की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन को खारिज
किया जाता है तथा अन्तिम डिक्री जारी की
जाती है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज
मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर